29/10/2020	पत्रावली वकील प्रार्थी तथा प्रतिवादी अ०प० विजय तलवी स्वीकार किये जाने पर तलब की गई। वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि ये इकरार का कागज नहीं प्रमाण माना गया और स्तर पर आगे कार्यवाही चाहते हैं। वकील प्रार्थी तथा प्रतिवादी अ०प०। तर्क स्वीकार कर हाल न्यायालय द्वारा दिनांक 20/9/2016 को जारी इकतरफा आज्ञाप्ति निष्पादन का अपील कर प्र०प० आज्ञप्ति निष्पादन की आगे हुआ था। पत्रावली फाईल मुगल से कम तलब से कम है व दोनों इकतरफा है।	श्रीमान की पत्रावली आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.01.06 11:15:11 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर

29/10/2020

प्रार्थी की ओर से धारा 151, वकील प्रकट
पाठ पढ़ कर तलबी स्वीकार की जाने पर
तलब की गई। वकील वादी ने एक पाठ पढ़ कर
आवेदन किया कि वाद पत्र को
आगे चलाना चाहते नहीं इसी स्टेज पर
खारिज करवाना चाहते हैं। वकील वादी का
प्रकट पाठ पढ़ स्वीकार कर वाद पत्र को इसी स्टेज
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट
शुल्क घटाकर वापस दे कर दी। व तामील
प्रकरण में पूर्व में जारी गई कार्यवाही अग्रिम
कार्यवाही निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

मैं प्रकरण को चलाना नहीं चाहता हूँ

29

अतिरिक्त अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.01.06 11:15:11 IST
Reason: SelfAttested